

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

तारीख: दिनांक 15-5-2019

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय छात्रावली शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु विद्यार्थी छात्रावली शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनक को अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक मंगल हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु प्राथमिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अर्थात् वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मध-17 में विद्यार्थी इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण पठा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यथन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया :-

ऐसी तबस्थावित विद्यार्थी इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु एओआईसीटीआईओ द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पीसीआईओ द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत एओआईसीटीआईओ द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संकथ में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पीसीआईओ अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रदेश के संकथ में बैठक आहूत कर ली जावे जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आशुचित वाठन्तिसिग में सम्मिलित कराया जा सके।"

आप निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनक द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों को अवीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अखिल प्रदेश संस्था हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	एओआईसीटीआईओ/पीसीआईओ द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्
1.	1308	पद्मावत बहादुर कार्मेली इंस्टीट्यूट ऑफ ए. ए. एन. एम. - 111, गंडम रोड, लखनऊ-201308	विद्यार्थी इन फार्मसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एओआईसीटीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1962 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन प्रतियां इतनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रीतिर, दो प्रतियां कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु० 43,000.00/- प्रीतिर एवं एक तथा दो प्रतियां पाठ्यक्रमों (दो प्रतियां कार्मेली पाठ्यक्रम में अधिलिप्त) हेतु रु० 22,300.00 प्रीतिर शुल्क ही प्रवेश सत्र/पत्र से प्राप्त किए जावेग। उपरोक्त से अधिलिप्त सत्र/पत्रावली से शुल्क के सम्बन्ध में उत्तर-समाप पर सातान द्वारा निर्धारित किये जाने



**कार्यालय,  
अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश जलमण्डल।**

संख्या- अखिल/अखिल सम्बद्धता/2020/1071

लगावक दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय समन्वयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय और जिला, नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2020-21 हेतु दिल्ली/राज्यीय समन्वयी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचित प्रदान किए जाने की अवधि प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलमण्डल से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलमण्डल की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में संचालित हुआ वर्ष 2020-21 हेतु समन्वयी को सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/साध्यकम/प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करने हेतु वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया।

पूजा के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में 14-8-20 में निर्णयों एवं समन्वयी साध्यकम स्थापित करने वाली पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकार तथा तथा; सम्बद्धता अखिल द्वारा गठन विचार-विमर्श का विभागात् निर्णय लिया गया -

- निजी क्षेत्र में स्थापित सिप्लोथा इन कार्पोरेशन प्राइवटकम स्थापित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलमण्डल से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं वर्ष 2020-21 हेतु पीएसीआईओ द्वारा उन्हें संभावित अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुच्चय अंकित प्राइवटकम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुसूचन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार देने जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये अवरोध निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलमण्डल से सम्बद्धता द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन प्राइवटकम एवं अवधि अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	साध्यकम का नाम	पीएसीआईओ द्वारा 2020-21 में अनुसूचन प्रवेश अंकित	पीएसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचन प्रवेश अंकित
1	एनए	अखिल सलुन राजस्थानी इन्फोर्माटिव जॉयंट का-4 सीमा (एन-1) डीए संस्था, सीएनएड संस्था।	विद्यार्थी इन कार्पोरेशन	००	००

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था पीएसीआईओ/पीएसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं, एनए तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों की 1822 संशोधन विनियमों-2018 तथा अन्य विहित विनियमों एवं शर्तों का अनुसूचन करने तथा सुचारु निष्पत्ति अखिल द्वारा निर्धारित कुल 1000 सीटें सहित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवटकम हेतु का 30,00,000/- अक्षरों, दो सीटों कार्पोरेशन प्राइवटकम हेतु 30,00,00,000/- अक्षरों एवं एक 100 सीटों अधीन प्राइवटकम (दो सीटों समन्वयी प्राइवटकम के अतिरिक्त) हेतु 50-22,500

*(Handwritten signature)*



**कार्यालय,**

**राष्ट्रीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

**संख्या:- प्राशा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537**

**लखनऊ- दिनांक: 09/06/2021**

**:-कार्यालय प्राप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तुरंत प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद (30/06) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 06/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संभावित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता: वृद्धि सहित अन्य सूची पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता: सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में तय की गई निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद (30/06) लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उद्यम में अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

<b>संस्था का कोड एवं नाम : 1066-RAKSHPAL BAHADUR PHARMACY INSTITUTE PLOT NO 4 KNOWLEDGE PARK III GREATER NOIDA GAUTAM BUDDH NAGAR-201308</b>			
<b>क्र.सं०</b>	<b>पाठ्यक्रम का नाम</b>	<b>ए०आईएससीटीआई/पीसीआईआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता</b>	<b>परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता</b>
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	80

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सत्र 20आईएससीटीआई/पीसीआईआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं अवेरों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वासन् द्वारा निर्मित किये जाने वाले कारनामेटेस जमावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यौन निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु यौन का पुनर्विचार किया जाता है, तो यौन की नवीनतम डेटे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30/06) प्रौद्योगिक शिक्षा समितियों तथा उद्य समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वासन् के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित वास्तव्येश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आईएससीटीआई/पीसीआईआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

